इजलास श्री दिनेश कुमार नन्डोदरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

दिनांक:– 19/5/17

प्रकरण संख्या:– 07/2015

उनवान:–

1– जगदीश पिता बापूलाल जी जाति कुलमी पेशा काश्त निवासी सेमरडा तह0 छोटीसादडी राज0

2– केशुराम पिता बापूलाल जी जाति कुलमी पेशा काश्त निवासी सेमरडा तह0 छोटीसादडी राज0 ––वादीगण

:: बनाम ::

1– बहादूरलाल पिता रामलाल जी जाति पाटीदार पेशा काश्त निवासी छोटीसादडी तह0 छोटीसादडी

2– मुकेश कुमार पिता कारूलाल जी जाति आंजना पेशा काश्त निवासी बरकटी तह0 छोटीसादडी

3– मदनलाल पिता शंकरलाल जी जाति पाटीदार पेशा काश्त निवासी छोटीसादडी तह0 छोटीसादडी

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी ––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 136 रा0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :–

1– वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरेखन प0ह0 बरेखन तह0 छोटीसादडी में आराजी नं0 2 रकबा 1.29 हैक्टेयर स्थित हैं एवं वाके मौजा बरेखन में भी आराजी नम्बर 7 रकबा 0.81 हैक्टेयर हाकर उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/4 हक हिस्सा निहित हैं उसी अनुसार वादीगण मौखिक बंटवारे अनुसार काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

2– यह कि वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजीयात में से वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 11.12.2013 को आराजी नम्बर 2 में से रकबा 0.11 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 को और इसी आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 2 को रकबा 0.26 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 को रकबा 0.33 हैक्टेयर आराजी विक्रय की एवं प्रतिवादी संख्या 3 को आराजी नम्बर 7 में से रकबा 0.11 हैक्टेयर आराजी विक्रय की उक्त आराजीयात मौके पर कब्जे अनुसार अंदाज से बिना नाम किये विक्रय कर दी विक्रय के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में भी अंकित हो गई।

3– यह कि उक्त आराजीयात के पास ही राष्ट्रीय राजमार्ग 113 के बाई पास कारूण्डा चौराहा से गोमाना वाले बाई पास रोड से लगी हुई हैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से आराजीयात का नाप किया तो प्रतिवादी संख्या 1 बहादूलाल के कब्जे काश्त में आराजी नं0 2 में रकबा 0.23 हैक्टेयर पर ही कब्जा हैं ऐसी सूरत में 0.10 हैक्टेयर पुनः वादीगण के नाम घोषित फरमाई जावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 के भी आराजी नम्बर 2 व 7 में 0.18 हैक्टेयर ही प्रतिवादी संख्या 3 की होकर बकाया रकबा 0.04 हैक्टेयर वादीगण की घोषित फरमाई जावे। चुंकि मौके पर रकबा ही कम हैं ऐसी सूरत में भविष्य में किसी भी प्रकार का वादीगण व प्रतिवादीगण के

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण 1 लगायत अन्त तक के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। वकील वादी ने जाहिर किया कि वादीगन एवं प्रतिवादीगन के मध्य आपसी राजीनामा हो गया हैं जिससे प्रतिवादीगण ने 26–08–2015 को इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार करे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

मैनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनि और पत्रावली का अवलोकन किया प्रतिवादीगन की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ। जिससे वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की जाती हैं कि मौजा बरेखन की आराजी नं0 2 रकबा 1.29 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में से 0.07 हैक्टैयर प्रतिवादी संख्या 2 के रकबे में से 0.04 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में से कम किया जाकर वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य की घोषित की जाती हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण को खातेदार काश्तकार के रूप में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19-5-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

19/5/17

उपखण्ड अधिकारी,

छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी – प्रतापगढ